न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

सुरेश चौधरी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
72/2021/प्रा.पत्र/2021	13.08.2021	20.09.2024

डॉ0 मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री अवनीश सिंह पुत्र श्री रमा शंकर सिंह नॉमिनी मैसर्स रिकॉन ऑयल इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 प्लॉट नं0 105–106 व एच–131–132 आई.आई.डी सेन्टर निवाई जिला टोंक राज0। निवासी ममता नगर, ग्रीन पार्क, नांगल रोड, झोटवाडा जयपुर राज0 पिनकोड–302012।
3–मैसर्स रिकॉन ऑयल इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 प्लॉट नं0 105–106 व एच–131–132 आई. आई.डी सेन्टर निवाई जिला टोंक राज0। पिनकोड–304021।

.....अप्रार्थी

जुर्म धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफ.एस.एस. एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थी श्री शिवराज चांगल उपस्थित।

:–निर्णय–: **दिनांक 20.09.2024**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनाक 01.06.2021 को समय 03:21 पी.एम. पर मैसस रिकॉन ऑयल इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 प्लॉट नं0 105–106 व एच–131–132 आई.आई.डी सेन्टर निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री अवनीश सिंह पुत्र श्री रमा शंकर सिंह मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री अवनीश सिंह पुत्र श्री रमा शंकर सिंह ने स्वयं को मैसर्स रिकॉन ऑयल इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 प्लॉट नं0 105–106 व एच–131–132 आई.आई.डी सेन्टर निवाई जिला टोंक(राज0) का नॉमिनी होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु प्रतिष्ठान के गोदाम में **सरसों तेल तेज ब्राण्ड (Mustard Oil Tej**

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Brand) के 455–455 ग्राम के लगभग 32 नग बोतल पैक के 300 कागज के कार्टून रखे हुये थे जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री अवनीश सिंह पुत्र श्री रमा शंकर सिंह को गवाहान के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर श्री अवनीश सिंह एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर कर तस्दीक किया एवं प्रतिष्ठान की गोदम में रखे 455–455 ग्राम के 32 नग बोतल पैक कागज के 300 कार्टून में से एक कार्टून को खोलकर 4 नग बोतल पैक प्रत्येक 455–455 ग्राम **सरसों तेल तेज ब्राण्ड (Mustard Oil Tej Brand)** जिसके बैच नं0 052123 एवं पैकिंग की दिनांक मई–2021 थी, वास्ते नमूना जांच मूल अवस्था में खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **सरसों तेल तेज ब्राण्ड (Mustard Oil Tej Brand)** के 455–455 ग्राम के 4 नग बोतल पैक में से एक–एक नग के नियमानुसार चार भाग तैयार किए एवं चारों नमूना भागों क लिए चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2863 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2863 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला,राज0 जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 2021 / 2092 दिनांक 16.06.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एल0एस0 / 641 / एक्ट / 2021 / 675 दिनांक 08.06.2021 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **सरसों तेल तेज ब्राण्ड (Mustard Oil Tej Brand)** एफ. एस.एस.ए.की धारा 3(i)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री शिवराज चांगल उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी सही प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया हैं। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **सरसों तेल तेज ब्राण्ड (Mustard Oil Tej Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध एवं खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एंव पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **सरसों तेल तेज ब्राण्ड (Mustard Oil Tej Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 20.09.2024 से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(सुरेश चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक